मनीराम **बनाम** ग्राम पचायत 36 एच नगो आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 04 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/265

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अपील अ हुक्म
02.07.2025	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि अमरजीत सिंह व जगसीर सिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि में से प्रत्येक ने 0.506 हैक्टेयर कुल 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.04.2025 पंजीयन दिनांक 16.04.2025 की रूह से अपीलांट को बेचान कर दी। उक्त बैयनामा का इन्तकाल संख्या 692 दिनांक 16.04.2025 दर्ज हुआ। परन्तु उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से मुझ अपीलांट के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 2.530 हैक्टेयर भूमि गलती से दर्ज हो गई है। इसलिए इन्तकाल संख्या 692 निरस्त किया जाकर मुताबिक बैयनामा अपीलान्ट के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि का इन्तकाल दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाने विधि सम्मत है। अपील के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1343 दिनांक 16.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बेचान से पहले जगसीर सिंह के नाम 2.133 हैक्टेयर व अमरजीत सिंह के नाम 2.134 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जिसमें से प्रत्येक ने 0.506 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया गया। परन्तु स्वत इन्तकाल द्वारा 2.530 हैक्टेयर भूमि मनीराम पुत्र जगु मेघवाल के नाम दर्ज हो गई है, जो कि गलत दर्ज हुई है। मनीराम के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। लिहाजा जगसीर सिंह व अमरजीत सिंह के द्वारा अपीलांट के पक्ष में 1.012 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत बैयनामा निष्पादित करवाया गया था। जबकि ऑनलाईन इन्तकाल की प्रक्रिया में अपीलांट के नाम 2.530 हैक्टेयर भूमि सहवन से दर्ज हो गई है। इसलिए इन्तकाल संख्या 692 दिनांक 16.04.2025 निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम 34 एच के इन्तकाल संख्या 692 दिनांक 16.04.2025 को निरस्त किया जाता है व पंजीकृत बैयनामा अमरजीत सिंह, जगसीर सिंह बहक मनीराम दिनांक 16.04.2025 के मुताबिक नामान्तरण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)